मु0न0— 54 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 15.05.2024

मु0न0 54 / 2024

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:39 IST
Reason: SelfAttested

1. उपेन्द्र पुत्र परमसुख
2. उर्मिला पुत्री परमसुख
   जाति कोली निवासी बीजलवाडा त[illegible]भीम जिला गंगापुर सिटी

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम।
2. मन्नू पुत्र चिरमोली
3. किशन पुत्र पन्ना
4. मोहनलाल पुत्र मंगल
5. जितेन्द्र पुत्र भौदू
6. भरतलाल पुत्र भौदू
   समस्त जातियान कोली निवासीयान बीजलवाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः— 20.08.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शहराकर के खाता न0 85 सम्वत 2074—2077 आराजी ख0न0 362 / 0.13, 363 / 0.20, 364 / 0.44, 364 / 582 / 0.06, 364 / 583 / 0.07 कुल किता 05 कुल किता 0.90 है0 के साबिक ख0न0 217 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा 218 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से बनाकर अंकित किये है। जो पूर्व मे वादीगण के पिता सरवन के नाम खातेदारी मे दर्ज थी, सरवन के पांच पुत्र तुलसी, भौदू, मंगल, पन्ना व चिरमोली थे तुलसी के एक मात्र पुत्र वादीगण के पिता परमसुख हुए परमसुख के जन्म लेने के बाद तुलसी की मृत्यु हो गयी तथा सरवन के जीतेजी सरवन के पुत्र तुलसी की व उसकी पत्नि की मृत्यु हो गयी थी। सरवन की विरासत खोलते समय वादीगण के पिता का नाम परमसुख पुत्र तुलसी के स्थान पर परमसुख पुत्र सरवन अंकित कर दिया जबकि अन्य भौदू, मंगल, पन्ना व चिरमोली पुत्र सरवन सही अंकित किया है। वादीगण के पिता का नाम दस्तावेज जैसे वोटर लिस्ट, परिचयपत्र आधार कार्ड मे परमसुख पुत्र तुलसी है जो सही है। इसलिये कोई सरकारी या अर्द्व सरकारी कार्य मे अडचन आती रहती है। तथा परमसुख की मृत्यु की मृत्यु हो चुकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमसुख पुत्र तुलसी महावर के नाम से सही बना है। लेकिन रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नराम परमसुख पुत्र सरवन होने के कारण आज दिन तक नामांतकरण आज दिन तक वादीगण के नाम नही खुला है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

वादीगण को उक्त गलती का पता चलने पर वादीगण दिनांक 07.05.2024 को तहसीलदार जी से दस्तावेज लेकर मिला तथा राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी मे नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्रम बीजलवाडा की आराजी ख0न0 362 / 0.13, 363 / 0.20, 364 / 0.44, 364 / 582 / 0.06, 364 / 583 / 0.07 कुल किता 05 कुल किता 0.90 है0 मे वादीगण के पिता परमसुख पुत्र सरवन हजफ फरमाया जाकर परमसुख पुत्र तुलसी अंकित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्न तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 0.90 है0 की खातेदारी कैलाश पुत्र मंगल किशन पुत्र पन्ना, परमसुख पुत्र सरवन वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात के साबिक ख0न0 217 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा तथा ख0न0 218 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से बने है कि खातेदारी सम्वत 2015–18 मे सरवन पुत्र सुखला कौम कोली सा.देह नाम रिकार्ड थी, जमाबन्दी सम्वत 2015–18 मे नामांतकरण न0 9 दिनांक 19.8.1962 मे भौदू, मंगल, पन्ना चिरमोली थे जिनमे तुलसी व तुलसी की पत्नि की मृत्यु सरवन के जीतेजी हो गई थी तुलसी के एक पुत्र परमसुख था सरवन की विरासत खोलते समय परमसुख के पिता नाम तुलसी के स्थान पर सरवन अंकित कर दिया। वादीगण के दस्तावेजात मे प्रेमसुख पुत्र तुलसी का अंकन है। अतः प्रकरण धारा 136 का नही होकर नामांतकरण अपील का बनता है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 217 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा 218 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से बने है। जो पूर्व मे वादीगण के पिता सरवन के नाम खातेदारी मे दर्ज थी, सरवन के पांच पुत्र तुलसी, भौदू, मंगल, पन्ना व चिरमोली थे तुलसी के एक मात्र पुत्र वादीगण के पिता परमसुख हुए परमसुख के जन्म लेने के बाद तुलसी की मृत्यु हो गयी तथा सरवन के जीतेजी सरवन के पुत्र तुलसी की व उसकी पत्नि की मृत्यु हो गयी थी। सरवन की विरासत खोलते समय वादीगण के पिता का नाम परमसुख पुत्र तुलसी के स्थान पर परमसुख पुत्र सरवन अंकित कर दिया जबकि अन्य भौदू, मंगल, पन्ना व चिरमोली पुत्र सरवन सही अंकित किया है। वादीगण के पिता का नाम दस्तावेज जैसे वोटर लिस्ट, परिचयपत्र आधार कार्ड मे परमसुख पुत्र तुलसी है जो सही है। इसलिये कोई सरकारी या अर्द्व सरकारी कार्य मे अडचन आती रहती है। तथा परमसुख की मृत्यु की मृत्यु हो चुकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमसुख पुत्र तुलसी महावर के नाम से सही बना है। लेकिन रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नराम परमसुख पुत्र सरवन होने के कारण आज दिन तक नामांतकरण आज दिन तक वादीगण के नाम नही खुला है। अतः वादीगण के पिता परमसुख पुत्र सरवन हजफ फरमाया जाकर परमसुख पुत्र तुलसी अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:39 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार सरकार ने जबाब / रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे कुल किता 5 कुल रकवा 0.90 है0 की खातेदारी कैलाश पुत्र मंगल किशन पुत्र पन्ना, परमसुख पुत्र सरवन वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात के साबिक ख0न0 217 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा तथा ख0न0 218 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से बने है कि खातेदारी सम्वत 2015–18 मे सरवन पुत्र सुखला कौम कोली सा.देह नाम

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
डोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

रिकार्ड थी, जमाबन्दी सम्वत 2015–18 मे नामांतकरण न0 9 दिनांक 19.8.1962 मे भौदू, मंगल, पन्ना चिरमोली थे जिनमे तुलसी व तुलसी की पत्नि की मृत्यु सरवन के जीतेजी हो गई थी तुलसी के एक पुत्र परमसुख था सरवन की विरासत खोलते समय परमसुख के पिता नाम तुलसी के स्थान पर सरवन अंकित कर दिया। वादीगण के दस्तावेजात मे प्रेमसुख पुत्र तुलसी का अंकन है। अतः प्रकरण धारा 136 का नही होकर नामांतकरण अपील का बनता है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम बीजलवाडा की आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 0.90 है0 वादीगण के पिता परमसुख पुत्र सरवन हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अन्य सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादी का आधार कार्ड न0 2112 2776 6324,परिवार राशन कार्ड न0 200001713543, .भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, तथा मृत्यु प्रमाण पत्र मे प्रेमसुख पुत्र तुलसी का अंकन है। जबकि वादीगण ने परमसुख पुत्र सरवन के स्थान पर परमसुख पुत्र तुलसी का अनुतोष चाहा है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भिन्न है। और तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस मे प्रकरण नाम दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का माना है। उक्त विवेचन अनुसार वादीगण का दावा विरोधाभाषी होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:39 IST
Reason: SelfAttested